Law Commission Report on Indian Succession Act

+

*23. SHRI SURAJ BHAN :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement showing :

(a) whether the Law Commission has found certain sections of the Indian Succession Act, 1925 discriminatory against women ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether he proposes to bring suitable amendments to the relevant Act during this session ; and

(d) is not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL): (a) The Law Commission has taken up for consideration the revision of the Indian Succession Act, 1925 and has invited comments on a working paper prepared on the subject.

(b) to (d) Do not arise.

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। एक तरफ तो यह पोजीशन थी कि महिला के बगैर कोई यज्ञ या हवन पूरा नहीं समझा जाता था। पुरुषों के नाम के साथ जब तक महिला का नाम न जुड़ जाए तब तक नाम नहीं लिया जाता था, जैसे—राधाकृष्ण, सीता राम···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आजकल तो आफिस में भी काम नहीं करते।

···(व्यवधान)

श्री सूरज भान : शास्त्रों में तो यहां तक भी लिखा गया कि "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"। बदकिस्मती से यह पोजीशन आज भी चल रही है। (व्यवधान

श्रीमति विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, ये कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये हैं नहले पर दहला।

···(व्यवधान)

श्री सूरज भान : आज जहां विधान में आर्टिकल 16 (1) और 16 (2) में यह लिखा है कि सैक्स के आधार पर कोई डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा, वहीं इंडियन सक्सेशन एक्ट के सैक्शन 7, 15, 42, 42-46 और 60 में महिलाओं के साथ पूरा डिस्क्रीमिनेशन किया गया है। इसीलिए, लॉ कमीशन ने शायद वर्किंग पेपर तैयार किया है। कृपया वह पेपर एम० पीज़ को सकलेट करवा दीजिए। अखबार में जो लिखा है, वह बताना चाहता हूं।

Statesman, 20th June :

> "It has left other discriminatory sections untouched. The reason by its own admission, is fear of provoking public opinion which, the Commission says, may not be ready for any radical change."

There is a Report of the Committee on the Status of Women—1975 Report. On page 362 it says—

"That the question of guardianship should be determined entirely from the point

of view of the child's interest and not the prior right of either parent."

U. N. Commission on the status of women. Four suggestions are there—

1. Women have all equal rights and duties.

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के पास भी किताब है। यू० एन० कमीशन की जो चारों रिकमन्डेशन्स हैं, क्या आप उसको इम्पलीमेंट करेंगे और जो लॉ कमीशन ने वर्किंग पेपर में पब्लिक ओपीनीयन के डर की वजह से जिन चीजों को टच नहीं किया है, उनको भी परब्यु में लाकर कांप्रीहेंसिव अमेंडमेंट करेंगे ताकि औरतों को पूरा बराबर का दर्जा मिल सके ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैंने अपने जवाब में कहा है कि लॉ कमीशन ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। लॉ कमीशन ने तो सिर्फ एक वर्किंग पेपर तैयार किया है जिस पब्लिक ओपीनीयन के लिए मुख्तलिफ लोगों से कमेंट्स मांगे हैं और कमेंट्स मांगने की लास्ट डेट 30 जून, 1984 थी। इसलिए, अभी लॉ कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपको कुछ बता सकूं। जब लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन्स आयेंगी तब हम बता सकेंगे कि किसको मानने जा रहे हैं और किसको नहीं ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एडवान्स में प्रामिस कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सूरज भान : मैंने कहा था कि लॉ कमीशन का वर्किंग पेपर अधूरा है। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो कुछ छपा है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा है।

> "The Supreme Court today asked the Union Government to explain as to why it should not strike down as unconstitutional the entire Muslim Personal Law relating to polygamy, divorce, adoption, succession etc.

उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हवाला देकर कहा गया है और तीन हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को कान्फीडेंस में लेंगे और बतायेंगे कि इस बारे में वे सुप्रीम कोर्ट को क्या राय देने वाले हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो प्रश्न आपने किया है, उस का लॉ कमीशन की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सूरज भान : यह प्रश्न वीमैन के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला है। अध्यक्ष महोदय, क्या हर कानून में संशोधन के लिए लॉ कमीशन की सिफारिश होना जरूरी है। इस सरकार का अपना कोई दिमाग नहीं है कि उस में परिवर्तन करे। अध्यक्ष महोदय, उत्तराधिकार का कानून अंग्रेजों के द्वारा 1925 में बनाया गया था और इस समय 1984 चल रहा है। अंग्रेजों ने अपने देश में उस कानून को बदल दिया, मगर हम उन के कानून से अपने देश में बंधे हुए हैं। आखिर लॉ कमीशन की सिफारिशों के लिए रुकने की क्या जरूरत है। वर्तमान उत्तराधिकार कानून के अन्तर्गत किसी बच्चे की नागरिकता या राष्ट्रीयता तय करने में माँ का कोई हाथ नहीं है। यदि कोई

बच्चा बालिग हो और उस की सम्पत्ति का मामला तय करना हो तो शादी कर लेने पर उस का फैसला पिता करेगा। यदि पिता नहीं करता है तो उस का निर्णय हाई कोर्ट करेगा। माँ को उस में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। आखिर यह भेदभाव का कानून कब तक हमारे देश में चलता रहेगा। इस देश की प्रधानमंत्री एक महिला है, मगर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जारी है। इस लिए आप लॉ कमीशन की आड़ मत लीजिए। यह सरकार अपने दिमाग को काम में ला कर 1925 के दकियानूसी, पुराने और रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक उत्तराधिकारी के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को ले कर क्यों नहीं आ रही है। (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मन्त्री श्री बसंत साठे : दिमाग की बात उस वक्त क्यों नहीं की जब यहाँ दिमाग वालों की जनता पार्टी की सरकार थी।

श्री जगन्नाथ कौशल : स्पीकर साहब, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि यहाँ क्वेश्चन तक ही बात कंफाइन रखनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप देखें कि मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मिनिस्टर साहब को ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी प्रश्न पूछा पता नहीं आपने मेरे प्रश्न को सुना या नहीं, लेकिन वह प्रश्न की परिधि के भीतर था। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो कुछ मंत्री जी ने कहा है, उस को सदन की कार्यवाही में से निकाल बाहर कर देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आप पर आक्षेप कर रहे हैं सर।

SHRI GEORGE FERNANDES : He should withdraw his remarks.

अध्यक्ष महोदय : यदि उन का कथन अश्लील या अनपार्लियामेंटरी होगा तो उस को कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। बताइए, उसमें क्या है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उन्होंने इस सदन की गरिमा पर हमला किया है।

अध्यक्ष महोदय : बताइए, कैसे ?

श्री जगन्नाथ कौशल : इस में पार्लियामेंटरी और अश्लीलता का प्रश्न ही नहीं है। स्पीकर साहब, मैं निहायत विनम्रता के साथ फिर कहना चाहूंगा कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरे दोस्त इतने नाराज हो गए। मैंने तो सिर्फ एक ही बात कही थी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, सुनने तो दीजिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस वक्त मेरे सामने यह प्रश्न था कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रीमिनेशन के सम्बन्ध में क्या लॉ कमीशन ने कोई निर्णय ले लिया है ताकि उस भेदभाव को दूर किया जा सके, जिस के उत्तर में मैंने यही कहा कि ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जहां तक वाजपेयी जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, उन का अभिप्राय यह है कि

जब तक उन का निर्णय न आए, उस से पहले ही हमें इण्डियन सक्सैशन एक्ट में संशोधन ले आना चाहिए। हम को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए जबकि इन्होंने अपना दिमाग 1977 और 1978 में इस्तेमाल नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये सारी बातें इस प्रश्न से कैसे पैदा होती हैं। मैं एक बार फिर बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब लॉ कमीशन इंडियन सक्सैशन एक्ट को एग्जामिन कर रहा है और उस के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेगा तो उस के बाद आप सब से मशवरा किया जाएगा जो देश का निर्णय होगा उस के मुताबिक कानून में संशोधन किया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप जरा सवाल देख लीजिए, केवल लॉ कमीशन की सिफारिश तक ही सीमित नहीं है।

(c) whether he proposes to bring suitable amendments to the relevant Act during this session.

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा हूं। उन का जवाब यह है कि उन के आने के बाद में ही हम करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही मैंने पूछा है कि उन के आने के बाद तक रुकने की क्या जरूरत है? 1977 में हमारा दिमाग तो नहीं था, लेकिन अगर आप हमारे ही दिमाग का परिचय देने वाले हैं तो जो हमारा हाल 1980 में हुआ, था वही आप का 1984 में होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय वाजपेयी जी के कहने का मतलब इतना ही है कि अक्ल यहां रहती है, वहां रहने पर अक्ल कम हो जाती है।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि देश की औरतों का दिमाग इन से ज्यादा अच्छा है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जब हमें संविधान में समान अधिकार मिला हुआ है तो जो उत्तराधिकार से संबंधित कानून है जिस में बच्चे के या प्रोपर्टी के मामले में स्त्री के लिए कोई अधिकार नहीं है, चाहे देर आयद दुरुस्त आयद, कोई बात नहीं, वाजपेयी जी जब हुकूमत में थे बहुत सी चीजें ऐसी करीं तब उन्हें होश ही कहां रहता था, लेकिन हम होश में हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई संविधान या कानून के अन्तर्गत इस तरह से संशोधन करना चाहती है कि पति की प्रोपर्टी में भी स्त्री का हक हो और बच्चों के मामले में या उत्तराधिकार के मामले में भी उन बच्चों के लिए और उस उत्तराधिकार में भी स्त्री बराबर की हिस्सेदार हो सके, ऐसा कोई कानून में संशोधन करने का विचार है?

श्री जगन्नाथ कौशल : माननीय सदस्या को मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट में यह सब चीजें आलरेडी प्रोवाइड हो चुकी हैं और 1956 में हो चुकी हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : शादी के बाद पति की प्रोपर्टी में आधा हिस्सा होना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : वह नारी की बात कर रही हैं और मंत्री जी सिर्फ हिंदू नारी की बात कर रहे हैं। आप भारत की नारी की बात बताएं न कि हिन्दू नारी की।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो कानूनी है। माननीय बागड़ी जी का नुक्ता बड़ा जोरदार है।

SHRI XAVIER ARAKAL : Sir, the Law Commission has recommended amendments to some of the discriminatory clauses in similar important Acts. For example in the Indian Divorce Act, the Christian community, especially the women of that community are highly discriminated against and the Law Commission has rightly pointed out that the discriminatory clauses in the Indian Divorce Act should also be removed. Now, this matter has been raised in this House quite often and the hon. Minister was pleased to say that the steps would be taken in this regard. Now, I would like to know when will amendments to the Indian Divorce Act be brought before the House by the Government so that equal rights to both husband and wife can be given and justice done ?

श्री जगन्नाथ कौशल : लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वह विचाराधीन हैं। जब उन पर फाइनल ओपीनियन हो जाएगी तो मैं हाऊस के सामने जाऊंगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Introduction of Electronic Voting Machine System

*24. SHRI K. MALLANNA :
SHRI KAMAL NATH :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Election Commission has made any request to Government to amend the Rapresentation of People Act to enable it to introduce the electronic voting machine system ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have been of the view that the question of using machines for the purpose of elections to State Legislative Assemblies and to Parliament and the amendment of the law for enabling such use should be taken up only after the people are made familiar with the system of voting by the machines and after there is general acceptance that such system of voting leaves no scope for misuse. The request of the Election Commission for reconsideration of the matter is under examination.

मीडिया (प्रचार माध्यमों) में कार्यरत लोगों के प्रति सरकार का रवैया

*25 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री बापू साहिब परूलेकर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स ने यह आरोप लगाया है कि सरकार मीडिया में कार्यरत लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लगाए गए आरोप किस प्रकार के हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) आरोप मोटे तौर पर सरकारी रूप से प्रायोजित यात्राओं को कवर करने के लिए पत्रकारों के चयन में किए गए कथित भेदभाव से सम्बन्धित है।